

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1381 / 2013 / टॉक.
2. अपील संख्या – 1382 / 2013 / टॉक.
3. अपील संख्या – 1383 / 2013 / टॉक.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन-तृतीय, राजस्थान, जयपुर:अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गुलाबचन्द राम अवतार, कृषि उपज मण्डी, टोंक.प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

प्रत्यर्थी व्यवहारी अनुपस्थित

.....अपीलार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27 / 11 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त तीनों अपीलों उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प-कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या क्रमशः 17, 18 व 19/वेट/11-12/कोटा में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 19.12.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक-पृथक आदेशों दिनांक 30.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. इन तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति सभी पत्रावलियों में पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान सरसों की खरीद की जाकर, चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. क्लेम किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच की जाने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रेता व्यवहारी द्वारा उक्त माल पर वेट नहीं चुकाया गया है, अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को रिवर्स करते हुए, अनुवर्ती ब्याज एवं करापवंचन के लिये वेट अधिनियम की धारा 61(बी) के तहत शास्ति का

लगातार.....2

आरोपण पृथक-पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 30.11.2011 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित रिवर्स कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए, धारा 61(बी) के तहत आरोपित शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित कर राशि स्वयं द्वारा जमा करवाई जा चुकी है। अतः शास्ति अपास्त किये जाने के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने के आदेश को त्रुटिपूर्ण होने का कथन किया तथा अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ।

6. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने समस्त संव्यवहारों का अपनी बहियात एवं बिक्री विवरण प्रपत्रों में इन्द्राज किया हुआ है। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह भी कथन किया गया है कि उनके द्वारा क्रय किये जाने माल पर देय कर राजकोष में जमा करवाया जा चुका है। व्यवहारी द्वारा माल क्रय किया जाकर उसका भुगतान जरिये चैक किया गया था, ऐसी स्थिति में विक्रेता व्यवहारी द्वारा वैट जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर उसके विरुद्ध शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य निर्णय दिनांक 21.04.2009 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि संव्यवहार से सम्बन्धित इन्द्राज व्यवहारी की लेखा-पुस्तकों में अंकित हैं तो धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण अनुचित है। प्रकरण के उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने में कोई त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

(कं. एल. जैन)
सदस्य

१८१२२
(नत्थूराम)
सदस्य